भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2158 का उत्तर

कोंकण रेलवे कनेक्टिविटी

2158. श्री नारायण तातू राणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे गोवा और कर्नाटक की तुलना में महाराष्ट्र के अधिक शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में महाराष्ट्र का हिस्सा कितना है और इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विलय के बाद महाराष्ट्र को इसका बड़ा हिस्सा देने के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि कोंकण रेलवे के विलय से उसकी वित्तीय समस्याओं का समाधान होने की संभावना है;

(ङ) उक्त परियोजना में महाराष्ट्र का हिस्सा बढ़ाने और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) में पांच शेयरधारक हैं जिनके नाम रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार और केरल सरकार हैं। केआरसीएल की वर्तमान शेयरधारिता संरचना निम्नानुसार है:

sk

शेयरधारक	भागीदारी % में (दिनांक 04.03.2025 की स्थिति के अनुसार)
रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार	62.44
महाराष्ट्र	16.86
गोवा	4.60
कर्नाटक	11.50
केरल	4.60
कुल	100

कोंकण रेल का 738.94 किलोमीटर का संरेखण तीन राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है, जिसमें कुल 72 स्टेशन हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 37 स्टेशन (381.18 किलोमीटर), गोवा में 10 स्टेशन (106 किलोमीटर) और कर्नाटक में 25 स्टेशन (251.76 किलोमीटर) आते हैं।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अवसंरचना 25 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है, जिसके लिए सुरंगों के दोहरीकरण और पुनर्निर्माण सहित यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों में बड़े नवीनीकरण/प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा सभी उल्लिखित शेयरधारक राज्य सरकारों से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपने हिस्से के अनुसार पूंजीगत व्यय का अंशदान करने अथवा रेल मंत्रालय के पक्ष में अपना हिस्सा त्यागने के लिए संपर्क किया गया है। केवल गोवा राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी त्यागने की सहमति प्रदान की है।

****

sk